भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **705**

दिनांक 21 नवम्बर , 2019 / 30 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान अकादमी

705. सुश्री मिमी चक्रबर्ती:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमानन क्षेत्र के पायलटों को वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसिंग हेतु प्रशिक्षण देने के लिए केवल एक उड़ान अकादमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके लिए उड़ान प्रशिक्षण पूरा करने के संबंध में प्रशिक्षण प्रक्रिया समय-सीमा स्तरीय और समयबद्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी आधुनिक प्रौद्योगिकियां और एयरबस सहयोग के साथ नए पायलटों को प्रशिक्षित करने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) आगामी दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि हेतु रोजगार सृजन की मांग को पूरा करने के लिए प्रवेश और सुविधाओं में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आगमी 10 वर्षों में देश में पायलटों की अनुमानित मांग और वर्तमान सहयोग क्षमता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जी नहीं। वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस-प्रक्रिया (सीपीएल) के लिए, विमानन सेक्टर के संबंध में पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदित 32 उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) हैं।

(ख): वायुयान नियम 1937 के अनुसार, एक छात्र को 200 घंटों (कौशल परीक्षण सहित) के उड़ान प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है और वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसिंग (सीपीएल) जारी करने संबंधी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। सीपीएल पाठ्यक्रम की पूर्णता की अवधि अनेक कारकों पर निर्भर करती है जैसे छात्र का प्रदर्शन, विमानों की उपलब्धता और परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए छात्र द्वारा लिया गया समय।

(ग) से (ङ): अगले 7-8 वर्ष की अवधि के दौरान अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों द्वारा अर्जित किए जा रहे लगभग 800 विमानों की प्राक्कलित आवश्यकता और उड़ान कर्मीदल/विमान उपयोगिता को देखते हुए, देश में लगभग 9000 पायलटों की प्रत्याशित आवश्यकता होगी। इस समय भारत में 07 अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन (एटीओ) हैं जिनके पास भिन्न-भिन्न विमानों हेतु प्रशिक्षण (टाइप ट्रेनिंग) मुहैया कराने के लिए 30 सिम्युलेटर हैं, जो वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस-प्रक्रिया (सीपीएल) के संबंध में, विमानन सेक्टर के लिए पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदित 32 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) के अतिरिक्त हैं। एयरबस कम्पनी ने भी भारत में ए-320 श्रेणी के विमानों पर पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन (एटीओ) स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, पायलटों का प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और अनुमोदित एफटीओ/एटीओ भी उद्योग की मांग/ आवश्यकता को पूरा करने के लिए आधुनिक प्रोद्योगिकियों को अपनाने के लिए अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं क्षमताओं का स्तरोन्नयन/उत्थान करते रहते हैं।

*****